उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार 09 पौष, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 30 दिसम्बर, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी **"क"**)।

2. प्रश्न (देखिये नत्थी **"ख"**।)

3. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2003 के द्वितीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

5. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003), उक्त समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

6. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003), उक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

7. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003), उक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

....2/...

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

8. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003), उक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

9. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003), उक्त समिति का पाचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

10. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002-2003), उक्त समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

11. सभापति, उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2002-2003), उक्त समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जगदेई तीर्थ, विकास खण्ड चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी को तीर्थ एवं पर्यटक स्थल घोषित किये जाने विषयक" श्री कैलाश खरोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित रूपनौल डांडा को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री भगवती प्रसाद डोभाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल के नगुण-भवान मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण विषयक" श्री भागदेई पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद रूद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्त्यमुनी एवं ऊखीमठ में रा0उ0मा0 विद्यालय खुमेरा, मणिगुह एवं रामपुर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुनील बेंजवाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के जूनियर हाईस्कूल कुण्डवगड के उच्चीकरण के विषयक" श्री अमर सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी में पंचकोषी (वारूणी यात्रा) को धार्मिक यात्रा घोषित करने के सम्बन्ध में" श्री जबर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....3/...

18. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा, "देहरादून शहर के कांवली रोड स्थित भाट्ड़ा मोहल्ला में पचास वर्ष पुरानी सीवर लाईन चोक होने से सीवर का गन्दा पानी ओवर फ्लो होकर पूरे क्षेत्र में फैलने के सम्बन्ध में" श्री मुरलीधर शर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा, "देहरादून शहर के बीच डाड़ीपुर क्षेत्र की पुरानी सीवर लाईन को खुले नाले में छोड़ने से मन्नुगंज एवं अन्य निवासियों को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में" श्री ओम प्रकाश प्रजापति एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल के विकास खण्ड ताड़ीखेत, भिक्यिासैण एवं बेतालघाट के अन्तर्गत कोसी कालाखेत (रीच-थापला) पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पूरन चन्द्र पाण्डे एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

21. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के 60-पंतनगर, गदरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगला क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में" श्री सतीश चन्द एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य, विधान सभा, "जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम मकरन्दपुर एवं पंचायत-बरीराई, विकास खण्ड गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) में मिनी स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में" श्री तारक चन्द्र वाछाड़ एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 315 (10) के अन्तर्गत प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

24. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

25. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

26. दिनांक 04 जून, 2002 को श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-02 के उत्तर में संशोधन हेतु पेयजल मंत्री का शोधन वक्तव्य।

(शोधन वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी **"ग"**)

...4/...

27. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

28. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

29. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

30. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

31. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

32. समाज कल्याण मंत्री, उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

33. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

34. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पर विचार किया जाय।

35. ससंदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पारित किया जाय।

36. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
(क) 1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री मदन कौशिक, 3. श्री हरभजन सिंह चीमा, 4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 5. श्रीमती आशा नौटियाल, 6. श्री महेन्द्र भट्ट,	"उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)
(ख) 1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 3. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 4. श्री प्रीतम सिंह पंवार।	---तदैव---

37. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

38. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
(क) 1. श्री प्रकाश पन्त, 2. श्री हरभजन सिंह चीमा, 3. श्री अजय भट्ट, 4. श्री मदन कौशिक, 5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 6. श्री महेन्द्र भट्ट,	"हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)
(ख) 1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, 3. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 4. श्री प्रीतम सिंह पंवार।	---तदैव---

39. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

...6/...

40. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

41. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुतू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाय।"

42. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है।"

43. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।"

44. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

"संविधान के अनुच्छेद-323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाय।"

45. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

46. जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0वि0 मेलाकुड़ा भवन की छत जमीन पर गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत, शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

....7/....

47. देहरादून खास विधान सभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर सीवर लाईन के अभाव में सीवर की गन्दगी खुले नालों में बहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य।

48. कुमांऊ इंजिनियरिंग कालेज द्वाराहाट में लोक निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा "डिपाजिट वर्क" के रूप में करवाये गये कार्य का भुगतान मजदूरों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत, प्राविधिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

49. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में ग्राम बिनगढ़ में पेयजल आपूर्ति की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य।

50. जन-गण-मन। (देखिए नत्थी **"घ"**)

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
मंगलवार, 09 पौष, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 30 दिसम्बर, 2003)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री मदन कौशिक 10-12-2003	**1. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अर्द्धकुम्भ मेले हरिद्वार में निर्माणाधीन केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, घाट शिविर का कार्य बिना टेन्डर प्रक्रिया के कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या कार्य निर्माण की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा कोई एजेंसी नियुक्त की गई है? यदि हाँ, तो कौन सी? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 15-12-2003	**2. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश की नयी ''औद्योगिक नीति'' के अन्तर्गत औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने में सहायता मिली है? यदि हाँ, तो नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् कितने नये उद्योगों को स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं? इन प्रस्तावों के आधार पर कितने उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं?	औद्योगिक विकास

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी 02-09-2003	*1. क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में वन्य जन्तुओं के शिकार की कितनी घटनाएं प्रकाश में आयी? वन्य जन्तुओं के शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या प्रभावी उपाय करने जा रही है?	वन
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 04-09-2003	*2. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरांचल सृजन के पश्चात जनसंख्या दबाव के कारण पेयजल समस्या समाधान की सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हॉ तो उस योजना का स्वरूप क्या है तथा योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?	पेयजल
श्री मदन कौशिक 06-09-2003	*3. क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि देहरादून नगर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है? क्या यह सत्य है कि नगर की सडकों, गलियों एवं पार्कों, नालों आदि में गन्दगी फैलती जा रही है? यदि हॉ तो, क्या सरकार नगर को स्वच्छ बनाने हेतु विशेष अभियान चलाने पर विचार कर रही है? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?	नगर विकास
श्री प्रकाश पंत 15.10.2003	*4. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद चम्पावत में विकास भवन निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो कुमायूँ मण्डल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित भवन हेतु आगणन रू0 3.07 करोड़ के स्थान पर उत्तर प्रदेश की संस्था 'निर्माण निगम' को रू0 4.17 करोड़ में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो क्या इस वित्तीय हानि लेने के कारणों पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 01-09-2003	*5. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 8 अप्रैल, 2003 को उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के माननीय विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवम् निर्माण निगम में कार्यरत मुख्य अभियंता स्तर-2 द्वारा उत्तरांचल हेतु अपना विकल्प नियत तिथि के बाद जालसाजी करके भरे जाने के विरूद्ध जॉच की मांग की गई थी? यदि हॉ तो उक्त मामले की जॉच में अभी तक क्या प्रगति हुई? क्या सरकार जॉच को सदनके पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों?	पेयजल

काजी निजामुद्दीन 03-09-2003	*6. क्या वन मंत्री बताऐंगे कि सरकार कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं तो क्यों?	वन

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत 10.11.2003	1. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सेवलाखुर्द, माजरा देहरादून में वर्ष 1999 से निर्माणाधीन ट्रान्सपोर्ट नगर प्रथम फेज़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो क्या व्यवसायिक उद्देश्य हेतु विक्रय प्रारम्भ हो चुका है? यदि हाँ, तो किस दर से? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोम के अता.प्र. 66 में स्था.
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 10.11.2003	2. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैजी कुजासू मोटर मार्ग निर्माण के कारण जिन काश्तकारों की भूमि नष्ट हो गयी है, क्या सरकार द्वारा उन्हें मुआवज़े का वितरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन परिवारों को कितनी-कितनी राशि दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.11.2003	3. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में डी.आर.डी.ए. के द्वारा कितने कृषकों को उद्यान/कृषि प्रशिक्षण हेतु कृषि वि.वि. पंतनगर एवं हिमाचल प्रदेश के भ्रमण पर विगत वर्ष 2002-2003 में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है? उक्त प्रशिक्षण के उपरान्त भौतिक उपलब्धि का आंकलन किस प्रकार किया गया है?	ग्राम्य विकास
श्री मातबर सिंह कण्डारी 11.11.2003	4. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट तथा लिफ्ट पेयजल योजनाओं की असफलता को देखते हुए क्या सरकार उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में नलकूप लगाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक कितने स्थानों का चयन कर लिया गया है?	पेयजल
श्री नारायण पाल 12.11.2003	5. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विगत 2002 व 2003 में व 2003-04 में सितारगंज ब्लॉक जनपद उधमसिंह नगर में विभाग द्वारा राज्य/जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त क्या-क्या कार्य कराए गए? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री नारायण पाल 12.11.2003	6. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त	

श्री मातबर सिंह कण्डारी 13.11.2003	7. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग ने छेनागाड़ उछोला मोटर मार्ग (वि0ख0 जखोली, रूद्रप्रयाग) के निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच के लिए पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री मातबर सिंह कण्डारी 13.11.2003	8. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग की पेयजल योजना ढ़ौडिक तल्ला नागपुर तथा पेयजल योजना आरस्यूँ बछणस्यूँ की मरम्मत में हुई धांधली धन के दुरूपयोग के बारे में मंत्री जी तथा सचिव, पेयजल को प्रश्नकर्ता से कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उक्त दोनों पेयजल योजनाओं की जाँच टेक्निकल सेल से करवाई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 13.11.2003	9. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत काम के बदले अनाज की आपूर्ति जनपद चमोली में समयबद्ध ढंग से हो रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार अनाज मुहैया कराने के लिए कोई दूसरी योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 13.11.2003	10. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत डिमर-टड़ासू मोटर मार्ग का तलाई, वणसोली वल्ली व पल्ली तक विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग की स्वीकृति कब तक दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री नारायण पाल 14.11.2003	11. क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गो.ब.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ज़मीन पर निजी प्रतिष्ठान के द्वारा कुक्कुट फार्म खोला गया है, जो विश्वविद्यालय के कुक्कुट एवं डेरी फार्म से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है? क्या यह सही है कि इस पोल्ट्री फार्म से आस-पास के आवासीय गाँव का वातावरण प्रदूषित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रतिष्ठान द्वारा फार्म स्थापित करने से पहले पर्यावरण विभाग से जाँच कराकर उससे अनुमति प्राप्त कर ली गई थी? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्रतिष्ठान को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने पर विचार करेगी?	द्वितीय शुक्र के अता.प्र. 01 में स्था.
श्री नारायण पाल 14.11.2003	12. क्या नगर विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज नगर पालिका व शक्तिगढ़ टाउन एरिया जिला उधमसिंह नगर को वित्तीय वर्ष 2002-03 व 2003-04 में कितनी-कितनी धनराशि राज्य एवं केन्द्र सरकार से किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई?	नगर विकास
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18.11.2003	13. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रीकल खण्ड लो.नि.वि. को सरकार बन्द करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या कारण है तथा उक्त खण्ड बन्द कर दिये जाने पर खण्ड को आवंटित कार्य किस प्रकार निष्पादित किया जाएगा?	लोक निर्माण

श्री प्रकाश पंत 19.11.2003	14. क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ में नजूल भूमि फ्री होल्ड के कितने प्रकरण 15.11.03 तक निस्तारित किये जा चुके हैं तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं? क्या सरकार नजूल भूमि फ्री होल्ड करने की अन्तिम तिथि के विस्तार पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोम के अता.प्र. 67 में स्था.
श्री प्रेमानन्द महाजन 19.11.2003	15. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण के लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 19.11.2003	16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल की विकास खण्डों की बैठकों में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति नगण्य रहती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बैठक में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री हरबंस कपूर 20.11.2003	17. पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त	
श्री प्रकाश पंत 20.11.2003	18. क्या पेयजल मंत्री बतायेंगे कि पिथौरागढ़ सीवरेज़ योजना (फेज़–1) को राष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) (एन.डब्लू.एस.एस.) द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी? क्या सरकार द्वारा संदर्भित योजना की समस्त वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री हरबंस कपूर 21.11.2003	19. क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम देहरादून क्षेत्र में वर्तमान में कितने स्थाई, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा के आधार पर सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि नगर निगम बनने से पूर्व नगर पालिका क्षेत्र देहरादून में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत थे? क्या नगर विकास मंत्री नगर निगम देहरादून जो कि उत्तरांचल की अस्थाई राजधानी भी है, में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुरूप अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	नगर विकास

श्री हरबंस कपूर 21.11.2003	20. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घनी आबादी क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर खड़े जर्जर एवं कमज़ोर वृक्षों को हटाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री प्रेमानन्द महाजन 13.10.2003	21. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में उधमसिंह नगर में कितने कि.मी. मार्गों को गड्ढा मुक्त किया गया? पन्तनगर तथा गदरपुर में कितने कि.मी. मार्ग गड्ढा मुक्त हुए?	लोक निर्माण
श्री मातबर सिंह कण्डारी 22.11.2003	22. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी बेचने के लिए क्या कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 22.11.2003	23. क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के लिए नई वन नीति बना ली गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार नई वन नीति के प्रारूप को सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 22.11.2003	24. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम ने निर्माण कार्य तथा पाईप लाईन बिछाने, टैंक निर्माण करवाने तथा चैम्बर आदि बनाने हेतु टेन्डर नीति बना ली है? यदि हाँ, तो क्या टेन्डर नीति के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि पेयजल योजना धैरका वि0ख0 भिलंगना टिहरी गढ़वाल के निर्माण में न्यूनतम रेट वाले ठेकेदार को कार्य न देकर अधिकतम रेट वाले टेकेदार को कार्य दिया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री हरबंस कपूर 22.11.2003	25. क्या नगर विकास मंत्री यह बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक एवं संविदा कर्मियों को हटाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या इनके स्थान पर नियमित कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कितने एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	नगर विकास
श्री मातबर सिंह कण्डारी 28.11.2003	26. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग द्वारा क्षेत्रीय जनता को रोज़गार देने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी?	वन
श्री प्रकाश पंत 14.10.2003	27. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के विकास खण्डों में रिक्त स्थानों पर खण्ड विकास अधिकारियों को नियुक्त किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	ग्राम्य विकास

श्री हरबंस कपूर 20.11.2003	28.	क्या वन शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि हल्द्वानी स्थित उत्तरांचल फोरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज सरकारी संस्थान है? यदि हाँ, तो इस संस्थान को सरकार द्वारा अब तक किस-किस मद में कितना-कितना पैसा आवंटित किया गया है? क्या मंत्री जी इस संस्थान को प्रदान की गयीं सुविधाओं एवं सहयोग का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 02.12.2003	29.	क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के गोचर नामक स्थान से भट्ट नगर रानो मोटर पुल का आगणन शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री मातबर सिंह कण्डारी 04.12.2003	30.	क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषकों की गेहूँ गन्ने की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री प्रकाश पंत 05.12.2003	31.	क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय जनता से मार्च, 2003 से अक्तूबर, 2003 तक विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 11.12.2003	32.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा भवन में विद्युत अनुरक्षण का कार्य करने वाले जिन कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य गठन के बाद दैनिक वेतन पर रखा गया था, को नियमित करने की कोई कार्रवाई शासन द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

नत्थी "ग"

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-2 के दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा जारी किए गये प्रकिया सम्बंधी निदेश सं0 43(1) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण उत्तर का संशोधन

वक्तव्य

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार नगर में वर्तमान में कितने एम0एल0डी0 शुद्ध जल की आवश्यकता है और अभी कितने एम0एल0डी0 शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है? सरकार ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या योजना बनाई है? योजना का पूरा ब्यौरा क्या है?	वर्तमान में हरिद्वार नगर के लिए 69.03 एम0एल0डी0 शुद्ध जल की आवश्यकता है। वर्तमान में 65.8 एम0एल0डी0 शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। अर्द्धकुम्भ मेले से पूर्व नलकूप निर्मित किए जाने प्रस्तावित है जिनमें 8.64 एम0एल0डी0 जल की बढ़ोतरी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त दो अवर जलाशय 2000 कि0ली0 एवं 2250 कि0ली0 क्षमता के निर्माण भी प्रस्तावित है।	वर्तमान में हरिद्वार नगर के लिए 69.03 एम0एल0डी0 शुद्ध जल की आवश्यकता है वर्तमान में तीन नग अन्तः श्रोत कूप एक नग नलकूप चालू कर दिये जाने तथा अर्द्धकुम्भ मेला-2004 के अन्तर्गत तीन नलकूप और लगाये जाने से नगर में कुल 53.184 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो गया है इसके अतिरिक्त एक अन्य नलकूप का खनन कार्य प्रगति पर है जिससे 1.728 एम0एल0डी0 शुद्ध जल वृद्धि अप्रैल, 2004 तक की जानी प्रस्तावित है तदोपरान्त हरिद्वार नगर में कुल 54.912 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो जायेगा। उक्त के साथ-साथ अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत केवल एक ही अवर जलाशय 2000 कि0ली0 हेतु धन उपलब्ध हुआ है, जिसका निर्माण कार्य तहसील प्रांगण में किया जा रहा है, जो मार्च 2004 तक पूर्ण कर चालू किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व में हुई त्रुटि के लिए उत्तरदायी श्री जी0पी0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तरांचल पेयजल निगम हरिद्वार के विरूद्ध शासन को गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि अंकन के आदेश किये गये हैं।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)
पेयजल मंत्री।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "घ"

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत भाग्य विधाता।।

पंजाब सिंध गुजरात मराठा।

द्राविड़ उत्कल बंग।।

विंध्य हिमाचल यमुना–गंगा,

उच्छल जलधि तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष माँगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।।